सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 ● G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075
दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200

भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश / विविध दिशानिर्देश/ 2026
नीति परिपत्र सं. 18.116 / 2026 दिनांक 28th अप्रैल, 2026
{(ई-ऑफिस फाइल सं. PAD-11/1/2026-TOT/INVIT Division (कम्प्युटर सं. 314468 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/ Policy Guidelines/ Miscellaneous Guidelines/2026
Policy Circular No. 18.116 /2026 dated 28th April, 2026
{(Decision taken on E-Office File No. PAD-11/1/2026-TOT/ INVIT Division (Comp No. 314468)}

विषय: लू की स्थिति के दौरान एहतियाती उपायों को लागू करने हेतु परामर्शिका के संबंध में।

Sub: Advisory for Implementation of Precautionary Measures during Heatwave Conditions - reg:

भाराराप्रा एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण में शामिल है और संविदाकार/एजेंसियां साइट पर तैनात बड़ी संख्या में कर्मचारियों के साथ चौबीसों घंटे सातों दिन काम कर रही हैं।

NHAI is involved in construction, operation & maintenance of Expressways and National Highways and Contractors/Agencies are working 24x7 with large workforce deployed at site.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा मौजूदा मौसम में "सामान्य से अधिक" तापमान और लू चलने की भविष्यवाणी को देखते हुए, कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। यह परामर्शिका भाराराप्रा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निर्माण स्थलों, अनुरक्षण कार्यों और टोल प्लाजाओं के लिए अनिवार्य प्रोटोकॉल की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। कर्मचारियों कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित निम्नलिखित उपायों को सभी संविदाकारों/कंसेसनेयर्स/एजेंसियों द्वारा तत्काल लागू किया जाना चाहिए।

With the India Meteorological Department (IMD) forecasting "above normal" temperatures and heat wave conditions for the current season, it is imperative to safeguard the health of the Workforce and ensure the safety of Road Users. This advisory outlines mandatory protocols for construction sites, maintenance works and toll plazas under NHAI jurisdiction. The following measures based on best practices are to be implemented immediately by all the Contractors/Concessionaires/Agencies to ensure staff well-being.

Contd.....2/-

1. **निर्माण एवं अनुरक्षण परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश:**
Guidelines for Construction & Maintenance Projects:

क. प्रशासनिक एवं कार्य अनुसूची:
A. Administrative & Work Scheduling:

- शिफ्ट के समय में बदलाव: भीषण गर्मी से बचने के लिए काम के घंटों को अलग-अलग समय पर रखें (आमतौर पर दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक)। भारी शारीरिक श्रम और गर्मी पैदा करने वाले काम जैसे कि बिटुमिनस का काम (डामर बिछाना), वेल्डिंग आदि को सुबह जल्दी या देर शाम की शिफ्ट में करना बेहतर होगा।
  Modified Shift Timings: Stagger work hours to avoid peak heat (typically 12:00 PM to 4:00 PM). Heavy manual labour and heat generating works such as bituminous works (asphalt laying), welding etc should preferably be scheduled during early morning or late evening shifts.

- विश्राम अंतराल: नियमित अंतराल पर शीतलन विराम लें। अत्यधिक गर्मी की चेतावनी की स्थिति में, इसकी आवृत्ति बढ़ाकर हर घंटे कर दें।
  Rest Breaks: Implement a cooling break at regular interval. In "Extreme Heat" alerts, increase frequency to every hour.

- अनुकूलन: नए कर्मचारियों या छुट्टी से लौटने वालों को पहले 3-5 दिनों तक हल्के काम दिए जाने चाहिए ताकि उनके शरीर गर्मी के अनुकूल हो सकें।
  Acclimatization: New workers or those returning from leave must be given lighter tasks for the first 3-5 days to allow their bodies to adjust to the heat.

- लू लगने की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित/परामर्शित किया जाएगा।
  Manpower to be trained/counselled to attend the heat stroke conditions.

ख. साइट सुविधाएं (शीतलन और जलयोजन):
B. Site Facilities (Cooling & Hydration):

- **ठंडे आश्रय स्थल:** रैखिक परियोजनाओं पर नियमित अंतराल पर पर्याप्त क्रॉस-वेंटिलेशन वाले अस्थायी, छायादार विश्राम क्षेत्र प्रदान करें।
  Cool Shelters: Provide temporary, shaded rest areas with adequate cross-ventilation at regular intervals on linear projects.

- **जल आपूर्ति और जलयोजन:** ठंडा पेय जल उपलब्ध कराएं। प्रति कर्मचारी प्रति शिफ्ट उपयुक्त न्यूनतम मात्रा में पानी की आपूर्ति बनाए रखें। सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों, सभी गश्ती वाहनों और साइट पर्यवेक्षकों के पास ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट (ओआरएस) और ग्लूकोज का स्टॉक रखें।
  Water Supply and hydration: Ensure the availability of cool, potable drinking water. Maintain supply of suitable minimum quantity per worker per shift. Stock Oral Rehydration Salts (ORS) and Glucose at all first-aid stations in all the Patrolling Vehicles and with Site Supervisors.

Contd.....3/-

ग. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) समायोजन:

C. Personal Protective Equipment (PPE) Adjustments:

- सुरक्षा हेलमेट और उच्च दृश्यता वाली जैकेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन संविदाकारों को हवादार, सूती जैकेट उपलब्ध कराना चाहिए।
  While safety helmets and high-visibility vests remain mandatory, Contractors should provide breathable, cotton-based vests.

- ऊंचाई पर काम करते समय किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सभी सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।
  Working at height should be closely monitored with all safety measures to avoid any incident.

घ. घटना प्रबंधन:

D. Incident Management:

- एम्बुलेंस की उपलब्धता: भाराराप्रा की गश्ती एम्बुलेंस में आइस पैक, ठंडा पानी और आईवी तरल पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए।
  Ambulance Readiness: NHAI Patrol Ambulances must be equipped with ice packs, cold water and IV fluids.

- प्रतिक्रिया समय: इंजन के अत्यधिक गर्म होने के कारण खराब हुए वाहनों या यात्रियों में लू लगने के लक्षण दिखाई देने पर उनकी पहचान करने के लिए रूट पेट्रोलिंग यूनिट (आरपीयू) को अपनी गतिविधि की आवृत्ति बढ़ानी चाहिए।
  Response Time: Route Patrolling Units (RPUs) must increase frequency to identify Vehicles stalled due to engine overheating or Passengers showing signs of heatstroke.

2. टोल प्लाजा और संचालन के लिए दिशानिर्देश:
Guidelines for Toll Plazas & Operations:

क. शिफ्ट प्रबंधन और कार्य अनुसूची:

A. Shift Management & Work Schedules:

- व्यस्त समय प्रबंधन: टोल संचालन निरंतर जारी रहने के दौरान, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे के बीच, जब तापमान अपने चरम पर होता है, कर्मचारियों के लिए बाहरी/लेन-किनारे के संपर्क को कम से कम करें।
  Peak Hour Management: While Toll Operations are continuous, minimize outdoor/lane-side exposure for staff between 11:00 AM and 3:00 PM when temperatures are at their peak.

- रोस्टर समायोजन: साइट सुपरवाइजरों और टोल बूथ कर्मचारियों के लिए डबल शिफ्ट या रोटेटिंग रोस्टर लागू करें ताकि उन्हें लंबे समय तक गर्मी के संपर्क में रहने से बचाया जा सके।
  Roster Adjustments: Implement double shifts or rotating rosters for site Supervisors and Toll Booth Staff to avoid prolonged exposure to heat.

Contd.....4/-

- रात्रिकालीन कार्य का अनुकूलन: अनुरक्षण या प्रशासनिक कार्यों के लिए रात्रिकालीन समय का उपयोग करें जिनके लिए व्यस्त समय में लेन में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है।
  Night Shift Optimization: Utilize night hours for maintenance or administrative tasks that do not require peak-hour lane presence.

- लू लगने की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित/परामर्श दिया जाएगा।
  Manpower to be trained/counselled to attend the heat stroke conditions.

ख. अवसंरचनात्मक सहायता एवं आश्रय स्थल:

B. Infrastructure support & Shelters:

- शीतलन कक्ष: यह सुनिश्चित करें कि टोल बूथ, विश्राम क्षेत्र और कार्यालय ब्लॉक कार्यात्मक वातानुकूलन या शीतलन प्रणालियों से सुसज्जित हों ताकि शिफ्ट के दौरान राहत प्रदान की जा सके।
  Cooling Rooms: Ensure Toll Booths, Rest Areas & Office Block are equipped with functional air conditioning or cooling systems to provide respite during shifts.

- अस्थायी शेड: उन लेन क्षेत्रों के पास अस्थायी शेड या शामियाना लगाएं जहां कर्मचारियों को खड़े होने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे उन्हें सीधी धूप से सुरक्षा मिल सके।
  Temporary Sheds: Install temporary sheds or awnings near lane areas where Staff may need to stand providing protection from direct sunlight.

- जलयोजन एवं स्वास्थ्य सहायता: सभी टोल बूथों और कार्यालय भवनों पर ठंडा पेयजल और ग्लूकोज/ओआरएस की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करें।
  Hydration & Health Support: Ensure continuous availability of cool drinking water and Glucose/ORS at all Toll Booths and Office blocks.

ग. घटना प्रबंधन:

C. Incident Management:

- एम्बुलेंस की उपलब्धता: भाराराप्रा की गश्ती एम्बुलेंस में आइस पैक, ठंडा पानी और आईवी तरल पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए।
  Ambulance Readiness: NHAI Patrol Ambulances must be equipped with ice packs, cold water and IV fluids.

- प्रतिक्रिया समय: इंजन के अत्यधिक गर्म होने के कारण खराब हुए वाहनों या यात्रियों में लू लगने के लक्षण दिखाई देने पर उनकी पहचान करने के लिए रूट पेट्रोलिंग यूनिट (आरपीयू) को अपनी गतिविधि की आवृत्ति बढ़ानी होगी।
  Response Time: Route Patrolling Units (RPUs) must increase frequency to identify Vehicles stalled due to engine overheating or passengers showing signs of heatstroke.

Contd.....5/-

3. **निगरानी एवं अनुपालन**:
Monitoring & Compliance:

- नियमित निरीक्षण: परियोजना निदेशक (पीडी) या पीआईयू अधिकारी इन सुरक्षा प्रोटोकॉल और निवारक उपायों के पालन को सत्यापित करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार निरीक्षण करेंगे।

  Regular Inspections: The Project Director (PD) or PIU Officials shall conduct inspections at least once a week to verify adherence to these safety protocols and preventive measures.

- शिकायत निवारण: प्रबंधन को इन निरीक्षणों के दौरान टोल प्लाजा कर्मचारियों द्वारा व्यक्त की गई किसी भी स्वास्थ्य संबंधी शिकायत या शारीरिक असुविधा का सक्रिय रूप से समाधान करना चाहिए।

  Grievance Redressal: Management must actively address any health-related grievances or physical discomfort voiced by the Toll Plaza Staff during these inspections.

- उच्च तापमान से जुड़े जोखिमों को कम करने और हमारे कर्मचारियों के स्वास्थ्य को खतरे में डाले बिना परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय आवश्यक हैं। बुनियादी जलपान और छाया सुविधाएं प्रदान करने में विफलता को रियायत/संविदा करार की "अनुसूचियों" के तहत सुरक्षा उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए लागू दंड लगाया जाएगा।

  These measures are essential to minimize risks associated with high temperatures and ensure operational efficiency without compromising the health of our Workforce. Failure to provide basic hydration and shade facilities shall be viewed as a safety breach under the "Schedules" of the Concession/Contract Agreement attracting applicable penalties.

4. सभी कंसेसनेयर्स/संविदाकार/परामर्शदाता /टोलिंग एजेंसियां मौजूदा लू के दौरान किसी भी स्वास्थ्य समस्या या घटना को रोकने के लिए उपरोक्त सलाह का पालन करेंगी; ऐसा न करने पर एजेंसी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पीआईयू अधिकारी एजेंसियों द्वारा उठाए गए उपायों की बारीकी से निगरानी करेंगे और टोलिंग एजेंसी की ओर से होने वाली देरी/कमियों को उजागर करेंगे।

All Concessionaires/Contractors/Consultant/Tolling Agencies shall adhere to above advisory to prevent any health issues and incidents during ongoing heat wave, failing which action as deemed fit shall be taken against the Agency. PIU Officials shall closely monitor the measures taken by Agencies and highlight the delays/deficiencies at Tolling Agency's end.

Contd.....6/-

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

28/04/2026

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.

2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.

3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.